(b) Complaints related to Traffic during the Last Three Years Till 26.2.96

Sl. No.	Year	Nature of complaints		Total	Filed	Disposed off Action taken		Pending
		Misbehaviour/ harassment	Malpractice			Major Punishment	Minor Punishment	
1.	1993	570	39	609	609	—	—	—
2.	1994	430	72	502	489	—	4	9
3.	1995	425	74	499	441	—	—	58
4.	1996 (upto 25.2.96)	86	6	92	44	—	—	48

नष्टप्राय: खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधा

690. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आलू तथा प्याज आदि जैसे नष्टप्राय: खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए शीत भंडारण सुविधा की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का कोई विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) से (घ) 1.1.95 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार नष्ट हो जाने वाले पदार्थों के भंडारण हेतु 85.77 लाख टन की स्थापित क्षमता वाले करीब 3167 प्रशीतन भंडार थे। इनमें से 76.11 लाख टन की स्थापित क्षमता वाले 1909 प्रशीतन भंडार केवल आलू के भण्डारण के लिए थे। हालांकि फल व सब्जियों, दूध से बनी वस्तुओं, मांस, मछली पाल्ट्री आदि समेत नष्टप्राय: खाद्य पदार्थों के भण्डारण हेतु प्रशीतन सुविधाओं की सही कमी का पता लगाने हेतु कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन आलू के लिए प्रशीतन सुविधाओं की तुलना में मांस, पाल्ट्री और दूध से बने पदार्थों के लिए प्रशीतन सुविधाएं कम हैं। निजी क्षेत्र द्वारा प्रशीतन भंडार स्थापित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है और कुल प्रशीतन भंडारों में से 85% भंडार निजी क्षेत्र में हैं।

चुनाव में धनशक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून

691. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने सरकार से चुनाव में धनराशि के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कानून मनाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कानून बनाने से पूर्व सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कानून कब तक बना लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन): (क) से (ङ) चुनाव आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77(1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण (1) को हटाने की अनुशंसा की है। 24.2.1996 को हुई एक बैठक में सरकार ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चुनाव सुधारों से संबंधित कतिपय अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श किया था। हालांकि, इस मामले में अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

Non-Political persons provided with 'Z' category security

692. SHRI SANJAY DALMIA:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names of the non-political persons